

प्रारूप

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत रा0 रा0 -134(पुराना रा0रा0-94) के कि0मी0 24.300 से कि0मी0 51.900 तक सिल्व्यारा बैड पर सुरंग निर्माण का कार्य (चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य आख्या का प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री की चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग -134 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग -94) के कि0मी0 24.300 से कि0मी0 51.900 तक सिल्व्यारा बैड पर सुरंग निर्माण का कार्य अति आवश्यक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू से यमुनोत्री को जोड़ता है। यमुनोत्री चार धामों में से एक धाम है यहां प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्रियों का आवागमन होता है।

वर्तमान में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की ज्यामिति अत्यन्त जटिल है, जिसमें कई अंधे व तीव्र मोड़ आते हैं। इस सुरंग की लम्बाई लगभग 5 कि0मी0 (पहुंच मार्ग सहित) है। इस सुरंग के निर्माण से इस मार्ग की दूरी में 23 कि0मी0 की दूरी कम हो जायेगी और कई तीव्र व अंधे मोड़ खत्म हो जायेंगे। और मार्ग यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित हो जायेगा। अतः यह निर्माण कार्य अति आवश्यक है। इस परियोजना के अन्य यदि वर्तमान रा0 रा0 को चौड़ा किया जाता तो लगभग 40-50 हे0 वन भूमि एवं 3000-4000 वृक्ष प्रभावित होते यद्यपि इस परियोजना में केवल सुरंग पोर्टलो पर वृक्ष प्रभावित होंगे जो कि न्यूनतम है। यह परियोजना किसी भी संवेदनशील क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है।

इस कार्य की स्वीकृति भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या NH-15017/45/2017-P&M दि0 15.05.2017 के द्वारा प्राप्त है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) के पत्रांक NH-12037/18/2013-UR/NH-II (Vol.5) दि0 28.03.2015 के माध्यम से संरक्षण स्वीकृत किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रांक NH-12037/113/2015/UR/NH-II दि0 06.05.2015 राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया है। इस परियोजना की वित्तीय लागत 1,370 करोड़ रुपये सम्भावित है। इस परियोजना की वित्तीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रांक NH-15017/45/2017-P&M दिनांक 15.05.2017 से प्राप्त है।

इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त उल्लेखित चैनेज के मध्य प्रभावित आरक्षित वन भूमि 24.807 हे0 एवं सिविल सोयम भूमि 1.108 हे0 प्रभावित होना प्रस्तावित है एवं इस भूमि में विभिन्न प्रजातियों के कुल 556 वृक्षों के पातन भी प्रस्तावित है। अतः यह प्रस्ताव उपरोक्त वनभूमि कुल क्षेत्रफल 25.825 हे0 के हस्तान्तरण एवं कुल 556 वृक्षों के पातन हेतु गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

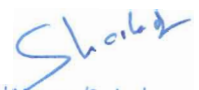
वर्तमान में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की ज्यामिति अत्यन्त जटिल है, जिसमें कई अंधे व तीव्र मोड़ आते हैं। इस सुरंग की लम्बाई लगभग 5 कि0मी0 (पहुंच मार्ग सहित) है। इस सुरंग के निर्माण से इस मार्ग की दूरी में 23 कि0मी0 की दूरी कम हो जायेगी और कई तीव्र व अंधे मोड़ खत्म हो जायेंगे। और मार्ग यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित हो जायेगा। अतः यह निर्माण कार्य अति आवश्यक है। इस परियोजना के अन्य यदि वर्तमान रा0 रा0 को चौड़ा किया जाता तो लगभग 40-50 हे0 वन भूमि एवं 3000-4000 वृक्ष प्रभावित होते यद्यपि इस परियोजना में केवल सुरंग पोर्टलो पर वृक्ष प्रभावित होंगे जो कि न्यूनतम है।

अतः वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य है। इस के अलावा कोई विकल्प नहीं है।




प्रबंधक

रा0 रा0 एवं अ0
वि0 नि0 लि0,


General Manager (Project)
National Highway's & Infrastructure Development Corp. Lt
58/37, 1st Floor, Ballia Road
B.O. Dehradun-248001 (Uttarakhand)
महाप्रबंधक
रा0 रा0 एवं अ0
वि0 नि0 लि0